रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ

13/15 माल रोड़

दिल्ली

सं. रे.दा.अधि./दिल्ली/राजभाषा/तिमाही रपट/2012 दिनांक 31.01.2013

परिपत्र

जैसा कि मैंने पहले भी अपने दिनांक 08.08.2012 के समसंख्यक पत्र में आग्रह किया था कि रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली कार्यालय में हिंदी के प्रयोग प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी अपना दिन-प्रतिदिन का अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें । आप सभी जानते हैं कि प्रधान पीठ कार्यालय ' क ' क्षेत्र में आता है इसलिए हिंदी में कार्य करना न केवल हमारा नैतिक कर्त्तव्य है अपितु संवैधानिक रूप से अनिवार्य भी है । इस संबंध में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों का हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाना अति आवश्यक है । इसके साथ-साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में देने के प्रयास किए जाएं तथा हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर, छुट्टी के आवेदन पत्र एवं छोटी-छोटी नोटिंग भी हिंदी में ही करें । मैं अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन अंग्रेजी में दे तो कृपया उसे हिंदी में प्रस्तुत करने का आग्रह करें । मुझे आशा है कि हमारा यह छोटा सा प्रयास प्रधान पीठ कार्यालय में हिंदी के प्रयोग-प्रसार को अवश्य गति प्रदान करेगा ।

रजिस्ट्रार

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ के समस्त अधिकारी/कर्मचारी